



अधिशायी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०

सीतापुर
कार्यालय ज्ञापन

1008280.236

कार्यालय ज्ञापन संख्या 3634 / वि०वि० ख०द्वि० / सीपी०५ (औ)

दिनांक 29-05-2023

निजी नलकूप / पम्पसेट हेतु निम्न उपभोक्ता / उपभोक्ताओं को उनके प्रार्थना-पत्र पर दिनांक.....
के आधार पर निम्नलिखित कार्य हेतु विद्युत शक्ति की स्वीकृत एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व पता	उपार्जित धनराशि का रसीद नम्बर व दिनांक	स्वीकृत शक्ति			नलकूप लेने का स्थान	विवरण
			ह० पा०	बल्ती पंखा	विधा		
1	2	3	4	5	6	7	8
204	श्री जयाप्रसाद S/o श्री लोदी जि. व. पा. बेलहरी ब्लॉक परसेण्डा सीतापुर	100/- P53675368 dd. 28.05.23			B H.P LMV-5	उपरोक्त	

यह स्वीकृति निम्नलिखित नियमों एवं कार्यक्रमों से प्रतिबंधित है।

- बिजली की मात्रा शोधित होने पर कुछ समय के लिए बिजली काटी जा सकती है।
- यदि उपभोक्ता स्वीकृत विधायों के अतिरिक्त किसी अन्य विधा से बिजली का उपयोग करता है तो उसका कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिया जायेगा।
- रोशनी के लिए, द्यूबवेल के लिए 60 वाट के दो बल्ब जलाए जा सकते हैं।
- निजी नलकूप / पम्पिंग सेट के बिल निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अन्यथा उपरोक्त स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
 - निजी नलकूप / पम्पिंग सेट किसी पूर्ण निर्मित राजकीय नलकूप अथवा किसी ऐसे राजकीय नलकूप से जिसका निर्माण किया जा रहा हो 200 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
 - निजी नलकूप / पम्पिंग सेट किसी नहर से 100 मीटर से अन्दर नहीं लगाया जायेगा जैसे यमुना नहर जैसी नहरों की दशा में जहाँ पानी कम हो तो यह प्रतिबन्ध नहीं होगा।
 - निजी नलकूप की लाइन बनवाने का कार्य उपभोक्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा। लाइन से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

(अधिशायी अभियन्ता)

दिनांक 29-05-2023

पत्रांक 3634 / वि०वि० ख०द्वि० / सी० / स्वीकृत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड खेराबाद / मिश्रिख / सिधौली / मछरेहटा / पिसावा / कमलापुर / सिधौली ग्रामीण।
- कम्प्यूटर वि०वि० खण्ड, सीतापुर।
- सम्बन्धित उपभोक्ता.....

(अधिशायी अभियन्ता)